बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमांक / यंत्रालय / 2021–22 / 382 दिनांक : 31.01.2022

निविदा प्रलेख (ए.आर.सी ई–निविदा सूचना संख्या 09 / 2021–22)

बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में वल्लभ गार्डन स्थित डम्पिंग यार्ड की सफाई व नाला सफाई कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पॉकलेन मशीन मय चालक एवं ईंधन की आपूर्ति हेतु वार्षिक दर अनुबंध पर कार्यादेश जारी होने की तिथि से **एक वर्ष** के लिए अधिकृत फर्म / संस्थान जिन्हें इस कार्य का अनुभव हो से निर्धारित प्रपत्र में ई–निविदा प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	अमानत राशि (प्रतिशत में)	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य अवधि
1.	बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में वल्लभ गार्डन स्थित डम्पिंग यार्ड की सफाई व नाला सफाई कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पॉकलेन मशीन मय चालक एवं ईंधन की आपूर्ति कार्य (वार्षिक दर अनुबंध पर)।	48.00	2%	1000/-	500/-	01 वर्ष

ऑनलाईन निविदा फॉर्म मिलने की प्रारम्भ तिथि व समय — दिनांक 01/02/22 को 09:30 बजे से

ऑनलाईन निविदा फॉर्म भरने की अंतिम की तिथि व समय — दिनांक 14/02/22 को 18:00 बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय — दिनांक 16/02/22 को 15:00 बजे पश्चात्

अ. सामान्य :–

1. **ऑनलाईन EMD, Tender Fees, Processing Fee जमा करवानें का प्रोसेस :–**
   निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि **(EMD)** का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर Pay **Online Tender** ऑप्शन द्वारा **Online Tender, RISL, EMD Fee Pay** पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट **www.eproc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में संवेदक की निविदा नहीं खोली जावेगी।
2. किसी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने का समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
3. बोलीदाता / फर्म को पेन कार्ड एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. जीएसटी एवं अन्य सभी करों की जिम्मेदारी बोलीदाता / फर्म की होगी।
5. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.bikanermc.org व राज्य लोक उपापन पोर्टल www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।
6. इच्छुक निविदादाओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिये नामांकित http://eproc.rajasthan.gov.in के पोर्टल के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है एवं इसी वेबसाईट पर यह निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
7. यदि किसी कारणवश तकनीकी निविदा या वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक को अवकाश रहता है तो तकनीकी निविदा उसके अगले कार्य दिवस में खोली जावेगी।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक / यंत्रालय / 2021–22 / 383–386 दिनांक : 31.01.2022

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक एवं सयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
3. जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
4. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमांक / यंत्रालय / 2021–22 / 387 दिनांक : 31.01.2022

श्रीमान् निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय :– ई–निविदा प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वल्लभ गार्डन स्थित डम्पिंग यार्ड की सफाई व नाला सफाई कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पॉकलेन मशीन की एक वर्ष के लिए दर अनुबंध पर आपूर्ति कार्य हेतु निविदा वार्षिक दर पर अनुबंध पर लेने की निविदा (प्रारूप संलग्न) का RTPP ACT, 2012 एवं RTPP Rules, 2013 के नियमानुसार प्रकाशित करवानें का श्रम करावें।

UBN No :-

सलग्न :– निविदा प्रलेख की प्रति।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

—: ई—टेण्डर हेतु निविदादाता के लिये निर्देश :—

- निविदा पूर्णतया ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरी जावेगी। इच्छुक निविदादाता को अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
- **निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि (EMD) का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर Pay Online Tender ऑप्शन द्वारा Online Tender, RISL, EMD Fee Pay पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
- निर्धारित शुल्क एवं धरोहर राशि से कम भुगतान करने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निविदा हेतु अयोग्य माना जावेगा।
- प्रोसेसिंग शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :—

नाम	MD RISL, Jaipur
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
50 लाख तक	500/—
50 लाख से अधिक	1000/—

- निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :—

नाम	आयुक्त, नगर निगम बीकानेर
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
10 लाख तक	500/—
10 लाख से अधिक	1000/—

- इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अपनी फर्म के नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑनलाईन वेबसाईट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा, जो ई—निविदा में डिजिटल रूप से साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास में पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र ईलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- ई—निविदा प्रपत्रों को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गई है।
- टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक समस्त कॉलम को समुचित रूप से भरकर ही ऑनलाईन दर्ज करें।
- यदि निविदादाता टेण्डर को ऑनलाईन जमा करवानें में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम लागू होंगे।
- किसी प्रकार की टंकणीय त्रुटि होने की स्थिति में विभागीय ISOR/BSR में वर्णित दरें/विवरण मान्य होंगी।
- RPWA-100 की समस्त शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

1. तकनीकी बिड (प्रथम भाग) :–

निविदा में भाग लेने वाली फर्मों की तकनीकी जाँच अधोलिखित बिन्दुओं के आधार पर की जावेगी एवं निम्नलिखित बिन्दुओं में वर्णित दस्तावेजों की पूर्ति होने पर ही निविदा का द्वितीय भाग (वित्तीय बीड) में शामिल किया जावेगा। तकनीकी निविदा मूल्यांकन में सफल निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी :–

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण	√ करें
1.	निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि (EMD) का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर Pay Online Tender ऑप्शन द्वारा Online Tender, RISL, EMD Fee Pay पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।	(संलग्न) हाँ / नहीं
2.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	(संलग्न) हाँ / नहीं
3.	आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	(संलग्न) हाँ / नहीं
4.	बोलीदाता की घोषणा (संलग्न एस.आर. 11 प्रारूप अनुसार)	(संलग्न) हाँ / नहीं
5.	Anexxure-A Conflict of Interest (संलग्न प्रारूप अनुसार)	(संलग्न) हाँ / नहीं
6.	Anexxure-B Declaration by the Bidder (संलग्न प्रारूप अनुसार)	(संलग्न) हाँ / नहीं
7.	Anexxure- C Grivance Redressal during Procurement process (संलग्न प्रारूप अनुसार)	(संलग्न) हाँ / नहीं
8.	Anexxure-D Additional Conditions of Contract (संलग्न प्रारूप अनुसार)	(संलग्न) हाँ / नहीं
9.	फर्म का कोई भी रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नही होने एवं ब्लेक लिस्ट नहीं होने का शपथ–पत्र 50/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।	(संलग्न) हाँ / नहीं
10.	बोलीदाता/संवेदक की ओर से दिया जाने वाला निविदा दस्तावेजों की सम्पूर्ण प्रति को डाउनलोड कर निविदा में वर्णित समस्त शर्तों के स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर मय सील सहित निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।	(संलग्न) हाँ / नहीं

नोट :–

1. प्रत्येक प्रलेख पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा फर्म/कम्पनी की सील मय हस्ताक्षर किये जावें।
2. बोली में अंकित की गई दरों में कोई Over Writting/Cutting नहीं की जावे। यदि कोई संशोधन किया गया है तो पृथक से अंकित कर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किया जावे।
3. उक्त वर्णित क्रम संख्या 01 से 10 बिन्दुओं की पूर्ति होने पर ही निविदा का द्वितीय भाग (वित्तीय बीड) खोली जावेगी। संलग्न दस्तावेजों की प्रतियाँ स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है। निविदा प्रपत्रों में संलग्न समस्त शर्तो पर उक्त कार्य करने को सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

2. वितीय बिड (द्वितीय भाग) :–

निविदादाता को निम्न प्रपत्र में ऑनलाईन दर प्रस्ताव देना होगा :–

दर प्रस्ताव प्रपत्र :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	दर विवरण (समस्त करों सहित)
1.	वल्लभ गार्डन स्थित डम्पिंग यार्ड की सफाई व नाला सफाई कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पॉकलेन मशीन की एक वर्ष के लिए दर अनुबंध पर आपूर्ति कार्य।	प्रति घंटा दर पॉकलेन मशीन चालक मय चालक व ईंधन सहित निविदा शर्तों के अनुसार समस्त करों सहित। राशि रूपये अंको में .... राशि रूपये शब्दों में ....

नोट :–

1. निविदा की समस्त शर्तें मान्य हैं।
2. निविदा में दरें मय Driver, Cleaner, Maintenance, Insurance, Fitness एवं समस्त कर आदि सहित होगी।
3. निविदा में अंकित दर कार्यादेश से 01 वर्ष तक वैध रहेंगी।
4. निविदा में दरें जीएसटी एवं सभी करों सहित होगी।
5. उक्त दी गई दर पर कार्य तकनीकी बिड में संलग्न शर्तों के अनुसार कार्य करने तथा समस्त करों सहित कार्मिकों का ईपीएफ/ईएसआई आदि नियमानुसार भरने के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता फर्म का नाम :–

अधिकृत व्यक्ति का नाम जिससे सम्पर्क किया जा सके (प्राधिकृत निविदा हस्ताक्षरी) :–

पत्राचार का पता :–

मोबाईल नम्बर :– **टेलीफोन व फैक्स नम्बर :–**

वेबसाईट/ई–मेल (ई–मेल आवश्यक) :–

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

03. निविदा की मुख्य शर्ते :– सफल निविदादाता को कार्य के दौरान निम्न शर्तों की पालना करनी होगी :–

शर्त संख्या 1 निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण निविदा नही खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जावेगी।

शर्त संख्या 2 बोली की विधिमान्यता की कालावधि 90 दिवस होगी। बोली लगाने वाले से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति जब्त (Forfiet) नहीं की जावेगी।

शर्त संख्या 2 उपापन संस्था बोल लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने एवं संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

शर्त संख्या 3 कार्य सम्पादत प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन में मामले में प्रदाय आदेश की रकम की 2.5 प्रतिशत होगी जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 75 (3) के अध्यधीन जमा करवानी होगी। बोलीकर्ता/संवेदक द्वारा धरोहर राशि (Bank Gurantee/Form RPWA 87/ Cash/FDR) के रूप में जमा करवानी होगी, जो कार्य के संतोषजनक समाप्त होने पर बिना ब्याज के पुनः लौटा दी जावेगी।

शर्त संख्या 4 सफल निविदादाता को कुल कार्य राशि की 2.5 प्रतिशत परफोरमेंश गारण्टी राशि (बैंक गारण्टी) के रूप में जमा करवानी होगी। 07 दिवस में नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा, जिसका व्यय संवेदक को वहन करना होगा।

शर्त संख्या 5 बयाना राशि प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिदिष्ट करें। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी।

शर्त संख्या 6 **बोली लगाने वालों से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त कर ली जावेगी :–**

1. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहरित या उपान्तरित करता है।
2. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेशों के अनुसार माल/सेवा का प्रदाय/संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
3. जब बोली लगाने वाला संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाता है।
4. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्य निष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।

शर्त संख्या 7 सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम का कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटाई जा सकती है। यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन की प्रतिभूति दे देता है।

शर्त संख्या 8 उपापन संस्था बोली प्रतिभूति को बोली की विधिमान्यता के आवासन पर, सफल बोली लगाने वाले द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करवानें पर, उपापन प्रक्रिया के रद्द होने पर तत्परता से लौटा दी जावेगी।

शर्त संख्या 9 **करार का निष्पादन :–**

1. कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको स्वीकृति/आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
2. सफल बोली लगाने वाला बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।
3. यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वे उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनत्तम या सर्वाधित लाभप्रद अगले न्यूनत्तम या सर्वाधिक दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
4. बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेत्तर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जावेगा।

शर्त संख्या 10 बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। ये कालावधि सामान्यतः 90 दिन होगी। उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है।

शर्त संख्या 11 नगर निगम आपूर्ति आदेश में दिय गए समय में वार्षिक दर संविदा अवधि को तीन–तीन माह करते हुए 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा विशेष परिस्थितियों में वार्षिक दर संविदा अवधि को आगामी बोली होने तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।

शर्त संख्या 12 बोलीदाता द्वारा कार्यालय के किसी कार्मिक को बोली के सम्बन्ध में या अन्य प्रकार से दबाव बनाने या परेशान करने पर बोलीदाता/फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाकर कानूनी कार्यवाही भी की जावेगी।

शर्त संख्या 13 किसी तरह का Joint Venture स्वीकार्य नहीं होगा।

शर्त संख्या 14 सफल निविदादाता को श्रम अधिनियमों/उप–नियमों की पालना करनी होगी तथा न्यूनत्तम मजदूरी अधिनियम की पालना करनी होगी। राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के कर, जीएसटी आदि चुकाने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

शर्त संख्या 15 सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने से पूर्व वाहन चालक का लाईसेंस व आपूर्ति की जाने वाली मशीन के पंजीयन प्रमाण–पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। आपूर्ति की जाने वाली मशीन पर पर जी.पी.एस. सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।

शर्त संख्या 16 मशीन एवं चालक पर होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय जैसे पी.ओ.एल. टूट–फूट मरम्मत चालक के वेतन भत्ते व अन्य सभी प्रकार के खर्चो की जिम्मेवारी संवेदक को वहन करनी होगी।

शर्त संख्या 17 मशीन मौके पर कार्य करते हुए या चलायमान स्थिति में किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर संवेदक वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा।

शर्त संख्या 18 कार्य करते समय पॉकलेन मशीन के चालक अथवा श्रमिक की किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो निगम उक्त दुर्घटना के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही व किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा तथा समस्त उत्तरदायित्व का भरण संवेदक का ही होगा।

शर्त संख्या 19 कार्य दिवस सोमवार से शनिवार तक होगा एवं रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर आयुक्त, उपायुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, गैराज प्रभारी की लिखित स्वीकृति से रविवार या अन्य अवकाश को भी कार्य करवाया जा सकेगा, जिसका स्वीकृत दरों पर नियमानुसार भुगतान देय होगा।

शर्त संख्या 20 संवेदक द्वारा प्रदत्त पॉकलेन मशीन खराब होने पर खराब मशीन को 24 घंटों के भीतर ठीक करवाकर निगम के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। खराब पॉकलेन मशीन का कोई भी भुगतान निगम द्वारा नहीं किया जावेगा। 24 घंटे बाद प्रतिघंटा आपूर्ति नहीं होने पर 2000/– रूपये की शास्ति लगाई जावेगी।

शर्त संख्या 21 सफल निविदा दाता द्वारा उपलब्ध करवाई गई पॉकलेन मशीन से प्रतिदिन 8 घंटे कार्य लिया जावेगा। कार्य का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

शर्त संख्या 22 पॉकलेन मशीन के लिए (चालक व ईंधन सहित) मशीन के लिए लॉग बुक निगम कार्यालय में आवश्यक शुल्क जमा करवाकर संवेदक को प्राप्त करनी होगी। लॉग बुक में निगम द्वारा अधिकृत स्वच्छता निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी/कनिष्ठ अभियंता जिसके के अधीन कार्य किया गया है, उससे प्रमाणिकरण करवाकर प्रस्तुत करनी होगी।

शर्त संख्या 23 प्रतिमाह आपूर्ति दी गई मशीन का बिल अगले माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा भुगतान में विलम्ब होने के लिए निगम जिम्मेदार नही होगा।

शर्त संख्या 24 सफल निविदादाता निर्धारित समय में यदि मशीन का संचालन करने में असफल रहता है या कार्य करने से मना करता है तो ऐसी परिस्थिति में सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी तथा निगम उक्त कार्य को अन्य से करवाने को स्वतंत्र होगी। किसी अन्य से करवाए गए कार्य पर निर्धारित दरों के अधिक भुगतान की वसूली रिस्क एण्ड कॉस्ट से सफल निविदादाता से की जावेगी।

शर्त संख्या 25 संवेदक द्वारा किसी भी निविदा शर्तो/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।

शर्त संख्या 26 बोली दस्तावेज में वर्णित शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि के सम्बन्ध में अस्पष्टता होने पर उल्लेख नहीं होने पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा अर्थात् बोली में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर द्वारा निर्णय निर्धारित किया जावेगा जो अंतिम एवं मान्य होगा।

शर्त संख्या 27 वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसरण में कोई भी संशोधन एवं परिपत्र जारी किया जाता है तो स्वतः ही इस बोली दस्तावेज एवं वार्षिक दर अनुबंध का हिस्सा एवं लागू होगा।

शर्त संख्या 28 निविदा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

शर्त सख्या 29 संवेदक द्वारा मशीन पर लगाया गया चालक अनुशासित मृदुभाषी होने चाहिए इनके दुर्व्यवहार एवं गलत आचरण पर अगर किसी निगम अधिकारी द्वारा रिर्पोट की जाती है तो संवेदक को चालक/श्रमिक उसी दिन बदलना होगा अन्यथा रू. 2000/– की शास्ति लगाई जावेगी।

शर्त संख्या 30 किसी भी विवाद की स्थिती में अन्तिम निर्णय आयुक्त/महापौर नगर निगम बीकानेर का होगा तथा न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

शर्त सख्या 31 संवेदक को प्रतिमाह 10 तारीख तक पॉकलेन मशीन से सम्बन्धित लॉग बुक, जीपीएस रिपोर्ट व बिल स्वास्थ्य अनुभाग (स्वच्छता निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी) से प्रमाणित करवा कर यंत्रालय अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या 32 संवेदक को सम्पूर्ण कार्य अवधि में किसी भी प्रकार का Price Escalation देय नहीं होगा।

शर्त संख्या 33 संवेदक द्वारा वांछित संख्या में अथवा सही समय पर मशीनों की आपूर्ति नहीं करने पर क्रमशः दो नोटिस के माध्यम से सूचना देने पर भी यदि कार्य नहीं किया जाता है तो निगम उक्त अनुबंध को निरस्त कर जमा धरोहर राशि को जब्त कर सकता है।

शर्त संख्या 34 निविदादाता द्वारा निविदि प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व फर्म की मोहर सहित ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।

शर्त संख्या 35 वितीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरें प्रति घंटा समस्त कर सहित देनी होगी।

शर्त संख्या 36 पोकलेन मशीन को निगम अधिकारियें द्वारा निर्देशित किये जाने पर आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करनी होगी, जिसकी सम्पूर्ण व्यवस्था संवेदक को करनी होगी।

शर्त संख्या 37 संवेदक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पोकलेन मशीन से निगम द्वारा अधिकांशतः वल्लभ गार्डन स्थित डम्पिंग यार्ड पर कचरे को व्यवस्थित करने हेतु कार्य में लिया जायेगा परन्तु बारिश के दौरान नाला सफाई व बंधा बनाने हेतु नगरीय क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य में लिया जा सकेगा।

शर्त संख्या 38 संवेदक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पोकलेन मशीन का तकनीकी विवरण निम्नानुसार होना चाहिए :-
Engine Power - 170 HP Min.
Transport Length with Monoboom - 9650 mm Min.
इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर बूम की लम्बाई बढाने हेतु आवश्यक Attachment के साथ बूम बदलनी होगी।

शर्त संख्या 39 संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार मशीन की आपूर्ति नही करने पर प्रति घंटा 2000 रू शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

शर्त संख्या 40 आवश्यकता होने पर वर्ष पर्यन्त अधिकतम 24 बार मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निगम द्वारा शिफ्ट करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा, जिसकी सम्पूर्ण व्यवस्था संवेदक को करनी होगी।

शर्त संख्या 41 मशीन के कार्यशील घंटों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है, जिसकी आनुपातिक भुगतान स्वीकृत दर के अनुसार देय होगा।

यंत्रालय प्रभारी बीकानेर नगर निगम	स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर नगर निगम	मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम	उपायुक्त बीकानेर नगर निगम

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________
The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैनें/हमने ....
.... निविदा दी है।

यदि उक्त निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप में समपहन्त कर लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता

टेलीफोन नं0 (निवास)
(कार्यालय)